पूर्व संशोधित पश्चात्	संशोधित पश्चात्
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा *** संघ–विधान पत्र ***	श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा *** संघ–विधान पत्र ***
1. संस्था का नाम – श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा। 2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सेक्टर 1, महावीर नगर विस्तार योजना,कोटा (राज0) है। कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तकसीमित होगा।	1. संस्था का नाम – यथावत रहेगा। 2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय खसरा न0 1370, चन्द्रेसल, पोस्ट अर्जुनपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, कोटा (राज0) है। कार्यक्षेत्र – यथावत रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य – इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है। (1) "बालकों में नैतिकता एवं शिक्षा हेतु विद्यालय स्थापित करना।" (2) विद्यार्थियों में नैतिकता एवं बौद्धिक विकास हेतु विद्ववानों शिक्षा विषयों एवं स्वजनों के प्रवचन का प्रबंध करना। (3) बालको के ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करना। (4) बालकों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रयास करना। (5) बालको के सर्वांगण विकास के लिए योग शिक्षा/व्यायाम/खेलकूद एवं भ्रमण की व्यवस्था करना। (6) संस्था का वर्ष राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं के अनुसार रहेगा। (7) नैतिक शिक्षा/शारीरिक शिक्षा समाजोपयोगी शिक्षा पर ध्यान देना। (8) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	3. संस्था के उद्देश्य – यथावत रहेगे। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। कार्यकारिणी के सम्बन्ध मे होने वाले विवादो के निपटारे के लिये सिविल न्यायालय में ही उपचार उपलब्ध रहेगा।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्द्रेसल तह. लाड़पुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

RJJPPL 10430907

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

पूर्व संशोधित पश्चात्	संशोधित पश्चात्
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा ***विधान नियमावली***	श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा ***विधान नियमावली***
1. संस्था का नाम – श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा।	1. संस्था का नाम – यथावत रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय सेक्टर 1, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा (राज0) है। कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण राजस्थान राज्य क्षेत्र तक सीमित होगा।	2. पंजीकृत कार्यालय – इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय खसरा न0 1370, चन्द्रेसल, पोस्ट अर्जुनपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, कोटा (राज0) है। कार्यक्षेत्र – यथावत रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य – इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है। (1) "बालकों में नैतिकता एवं शिक्षा हेतु विद्यालय स्थापित करना।" (2) विद्यार्थियों में नैतिकता एवं बौद्धिक विकास हेतु विद्ववानों शिक्षा विषयों एवं स्वजनों के प्रवचन का प्रबंध करना। (3) बालको के ज्ञान वर्धन के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करना। (4) बालकों के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्रयास करना। (5) बालको के सर्वांगण विकास के लिए योग शिक्षा / व्यायाम / खेलकूद एवं भ्रमण की व्यवस्था करना। (6) संस्था का वर्ष राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं के अनुसार रहेगा। (7) नैतिक शिक्षा / शारीरिक शिक्षा समाजोपयोगी शिक्षा पर ध्यान देना। (8) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।	3. संस्था के उद्देश्य – यथावत रहेगे । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है। कार्यकारिणी के सम्बन्ध मे होने वाले विवादो के निपटारे के लिये सिविल न्यायालय में ही उपचार उपलब्ध रहेगा।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्द्रेसल तह. लाडपुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

MJPPL 10430906

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ राजस्थान सरकार

पूर्व संशोधित पश्चात्	संशाधित पश्चात्
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा * संघ विधान * 4– सदस्यता :– निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :– (1) संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो। (2) बालिग हो। (3) पागल दिवलीया न हो। (4) संस्था के उद्देश्यों तथा आस्था रखते हो। (5) संस्था हितों को सर्वोपरि समझते हो।	श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा * संघ विधान * 4– सदस्यता :– यथावत रहेगी।
5– निर्योग्यता :– इसी प्रकार की संस्था में पूर्व में चले आ रहे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य संस्था का सदस्य है तो वह इस संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है।	5– निर्योग्यता :– यथावत रहेगी।
6– सदस्यो का वर्गीकरण :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे – (1) संरक्षक (2) विशिष्ठ (3) सम्मानीय (4) साधारण	6– सदस्यों का वर्गीकरण :– यथावत रहेगे।
7– सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :– उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न कार शुल्क व चन्दा देय – (1) संरक्षक राशि 1000 वार्षिक/आजन्म (2) विशिष्ट राशि 500 वार्षिक/आजन्म (3) सम्मानीय राशि 200 वार्षिक/आजन्म (4) साधारण राशि 100 वार्षिक/आजन्म उक्त राशि एक मुश्त की दर से जमा करवाई जा सकेगी।	7– सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :– यथावत रहेगा।
8– सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा – (1) मृत्यु होने पर।	8– सदस्यता से निष्कासन :– यथावत रहेगा।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्देसल तह. लाड़पुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EVSPPL 10430905

e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

(2) त्याग पत्र देने पर। (3) संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर। (4) प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णाय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।	
9– साधारण सभा :– संस्था के उपनियम संख्या 6 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का नेर्णय करेगे।	9– साधारण सभा :– यथावत रहेगी।
10– साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अणिकार और कर्तव्य होगें – (1) प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि में होगा। (2) वार्षिक बजट पारित करना। (3) प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना तथा पुष्टि करना। (4) संस्था के कुल सदस्यों 2/3 बहुमत से विधान मे संशोधन परिवर्तन करना। (5) ऑडिट पर विचार करना। जो रजिस्ट्रार संस्थाऐं कोटा के कार्यालय में फाईल जमा कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।	10– साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :– यथावत रहेगे।
11– साधारण सभा की बैठके :– (1) साधारण सभा की वर्ष मे एक बैठके अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। (2) साधारण सभा की बैठके का कौरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।	11– साधारण सभा की बैठके :– यथावत रहेगी।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
बन्देसल तह. लाड़पुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EMPPL 10430904

❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

(3) बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी। (4) कौरम के अभाव में बैठके स्थगित की जा सकेगी और पुनः 7 पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की सकेगी। ऐसी स्थगित बैठको में कौरम की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व ऐजेण्डो में थे। (5) संस्था के 1/3 अथवा 11 सदस्य इनमें से जो भी कम हो लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा इस माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त अवधि में अध्यक्ष /मंत्री सदस्यों का निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगा।	
12– कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी तथा सदस्य निम्न प्रकार होगें :– (1) अध्यक्ष – एक (2) उपाध्यक्ष – एक (3) मंत्री – एक (4) उपमंत्री – एक (5) कोषाध्यक्ष – एक (6) सदस्य – दस इस प्रकार प्रबंध कारिणी में पदाधिकारी 5 सदस्य 10 कुल 15 सदस्य होगे।	12– कार्यकारिणी का गठन :– यथावत रहेगा।
13– कार्यकारिणी का निर्वाचन :– (1) संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। (2) चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। (3) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध कारिणी द्वारा की जावेगी।	13– कार्यकारिणी का निर्वाचन :– यथावत रहेगा।
14– कार्यकारिण के अधिकारी और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगे। (1) सदस्य बनाना निष्कासित करना। (2) वार्षिक बजट तैयार करना।	14– कार्यकारिण के अधिकारी और कर्तव्य :– यथावत रहेगे।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्द्रेसल तह. लाड़पुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EKYCPPL 10430903

❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

(3) संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। (4) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति करना। (5) वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनके वेतन, भता आदि का निर्धारण करना। (6) कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। (7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।	
15– कार्यकारिणी की बैठके :– (1) कार्यकारिणी की बैठके निम्न लिखितानुसार बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। (2) बैठक का कौरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के 1/2 से अधिक होगा। (3) बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावष्यक बैठक की सूचना परिवान से कम समय में भी दी जा सकगी है। (4) कौरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। प्रबध कारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	15– कार्यकारिणी की बैठके :– यथावत रहेगी।
16– प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :– प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगे। (1) अध्यक्ष :– 1. बैठको की अध्यक्षता 2. बैठके आहूत करना मत के बराबर आनेपर निर्णायक मत देना। 3. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर कराना। 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. अन्य कार्य। (2) उपाध्यक्ष :– 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त	16– प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :– यथावत रहेगे।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
भन्देसर तह. लाडपुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EKYPPL 10430902

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra

अधिकारो का प्रयोग करना। 2. प्रबंधकाकिरणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारो का प्रयोग करना। (3) मन्त्री :– 1. बैठके आहूत करना। 2. आय व्यय पर नियंत्रण करना। 3. कार्यवाही लिखाना तथा रिकार्ड रखना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना। 5. संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना व कम्पनी दस्तावेजो पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. संस्था की सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक है। (4) उप मन्त्री :– 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्यो का संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावे। (5) कोषाध्यक्ष :– 1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना।	
17– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा। 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान (1) उक्त प्रकार के संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी। (2) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से लेन–देन सम्भव होगा।	17– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा। यथावत रहेगा।
18– कोष संबंधी विशेषाधिकार :– संस्था के हितों में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकार कर सकेगे। (1) अध्यक्ष 1000 रू. (2) मंत्री 500 रू. (3) कोषाध्यक्ष 250 रू.	18– कोष संबंधी विशेषाधिकार :– यथावत रहेगे।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्देसल रह. लाडपुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EMPPL 10430901

e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जावेगा।	
19– सस्था का अंकेक्षर :–संस्था के समस्त लेखों–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।	19– संस्था का अंकेक्षर :– यथावत रहेगा।
20– संस्था का विधान :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन/ परिवर्द्धन या संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 तथा 14 के अनुरूप होगी।	20– संस्था का विधान :– यथावत रहेगा।
21– संस्था का विघटन :– यदि आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1957 की धारा 13 तथा 14 के अनुरूप होगी।	21– संस्था का विघटन :– यथावत रहेगा।
22– संस्था के लेखे–जोखे :– रजिस्ट्रार महोदय संस्थाऐं कोटा अथवा उनके प्रतिनिधि को संस्था के निरक्षण का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली श्री विवजयवर्गीय शिक्षण संस्थान कोटा की सही तथा सच्ची प्रतिलिपि है।	22– संस्था के लेखे–जोखे :– यथावत रहेगा।

अध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
चन्देसरा तह. लाडपुरा कोटा (राज.)

सचिव
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान, कोटा

कोषाध्यक्ष
श्री विजयवर्गीय शिक्षण संस्थान
कोटा (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.06.28 14:39:59 IST
Reason: Approved
Location:

EMIPPL 10430900

❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖

Sr. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Kumud Jain	FEMALE	SECRETARY		06/01/1977
7		Lata Jain	FEMALE	DIRECTOR MEMBER		07/11/1977
8		Mahesh Chandra Jain	MALE	DIRECTOR MEMBER		07/07/1956
9		Mukesh Kumar Jain	MALE	CHAIRMAN/PRESIDENT		05/05/1976
10		Nisha Arora	FEMALE	DIRECTOR MEMBER		15/06/1979
11		Rajendra Maheshwari	MALE	DIRECTOR MEMBER		10/11/1964
12		Renu Jain	FEMALE	DIRECTOR MEMBER		07/06/1969
13		Ritesh Arora	MALE	DIRECTOR MEMBER		22/07/1973
14		Shobha Jain	FEMALE	VICE SECRETARY		05/08/1971
15		Virendra Kumar Jain	MALE	DIRECTOR MEMBER		22/07/1971

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

EMJPPL 04377193

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.07 10:42:02 IST
Reason: Approved
Location: Kota

e-Mitra ई-मित्र राजस्थान सरकार